# मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण) अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला—अनूपपुर (म.प्र.) 484220

दूरभाष 07659-263787

ई मेल—setrgatps001@gmail.com

क्रमांकः 001-01/प्रशिक्षण/2651

चचाई, दिनांक- 06/01/2023

### विज्ञापन

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत ग्रेज्यूएट/टेक्निशियन (डिप्लोमा)/आई.टी.आई. अप्रेंटिस के लिए आवेदन वर्ष 2022—23 हेतु म.प्र. राज्य के शासकीय/अशासकीय मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओं/व्यवसायों (ब्रॉच/ट्रेड) में एक वर्षीय (एक वर्ष) अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते है:—

ग्रेज्यएट अप्रेंटिस

			30950	OINICU			
क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	01	02	02	01		06
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग	01					01
3	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग	01					01
कुल		03	02	02	01		80

डिप्लोमा अप्रेंटिस

क्र.	शाखा	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल योग
1	मैकेनिकल इन्जीनियरिंग	01					01
2	इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग		01	01			02
	कुल	01	01	01			03

आई.टी.आई. अप्रेंटिस

_	TILLET	सामान्य	ओ.बी.सी.	अ.ज.जा.	अ.जा.	आर्थिक रूप	कुल योग
क्र.	शाखा	सामान्य	011.41.411.	SI, 21, 211		से कमजोर	J
		20	02	01	02	<u>वर्ग</u> 	08
1	फिटर	03	01	01			03
2	टर्नर	01					03
3	वेल्डर	01	01	01			
4	मोटर मैकेनिक	01	01	01 -			03
5	इलेक्ट्रीशियन	02	02	02	02	02	10
	वायरमैन	01	01				02
6 कु		09	08	06	04	02	29

ं. उक्त रिक्तियां केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवार के लिए है। आवेदन पत्र को कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिये गये पते पर भेजें।
 पताः— कार्यालय—अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई जिला—अनूपपुर (म.प्र.) 484220

आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि दिनांक <u>15.02.2023</u> है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

ii. विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।

प्रशिक्षण के लिए लागू नियम व शर्ते:-

01. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता – शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में।

(अ) ग्रेज्यूएट अप्रेंटिस – मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी में डिग्री।

(ब) टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस — मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग / टेक्नालॉजी में डिप्लोमा।

(स) आई.टी.आई. अप्रेंटिस — शासकीय / अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एस.सी.व्ही.टी. / एन.सी.व्ही.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता-

(अ) उम्मीदवार इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत किसी भी संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो।

(ब) प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा / व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची

(मेंरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

03. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.जन.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।

04. आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

05. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान कंपनी के आवास रिक्त होने की स्थिति में उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क आधार पर आवास सुविधा प्रदान की

जावेगी।

06. आई.टी.आई. उत्तीर्ण आवेदकों को भारत सरकार के NAPS (National Apprenticeship Promotion Scheme) तथा ग्रेज्युएट/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) उत्तीर्ण आवेदकों को NATS (National Apprenticeship Training Scheme) अप्रेंटिस पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय समय पर अपना ई—मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in भी देखते रहे।

07. अनु.जाति / अ.ज.जा. / ओ.बी.सी. / आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आरक्षण अप्रेंटिसशिप

एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

08. अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

09. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म.प्र.पा.जन.कं.लि., चर्चाई अपने पास सुरक्षित रहेगा।

10. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा।

10. अविदेक की मध्यप्रदेश पर्री पूर्ण गांनाता लगा जागर के विदेश की मध्यप्रदेश पर्री पूरिक्ष को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, जिसकी पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

12. चयनित अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को शासन के पोर्टल पर रिजस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, चिकित्सा प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध इत्यादि आवश्यक रूप से कार्यालय में उपलब्ध करायें जाना आवश्यक होगा।

- 13. आवेदन से सम्बंधित विस्तृत जानकारी कम्पनी की वेबसाइट http://mppgcl.mp.gov.in/carreers.html पर उपलब्ध है |
- 14. आरक्षण एवं आयु में छूट:
  - i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्लु.एस. आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा. सवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
  - ii. सभी वर्गो में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 15. 02.2023 के आधार पर की जावेगी।
  - iii. सामान्य वर्गो के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनु.जाति / अ.ज.जा. /अ.प.वर्ग (नॉन—क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी।
  - iv. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष रहेगी।

#### 15. चयन प्रक्रिया :-

- i. आर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की छटाई की जावगी। तत्पश्चात, म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृह, चचाई द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार और ग्रेज्युएट(डिग्री)/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस हेतु डिग्री/डिप्लोमा में सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) के अंको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रम (मेरिट लिस्ट) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जायेगा।
- ii. उम्मीदवार केवल एक ही व्यवसाय/शाखा में आवेदन भर सकता है।
- iii. निर्धारित समयाविध में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
- iv. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग का प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना आवश्यक है।
- v. चयनित पात्र प्रशिक्षुओं का Final Registration Approval NATS Portal एवं NAPS Portal पर Approved होने के बाद ही प्रशिक्षण हेतु बुलाया जायेगा।
- vi. प्रशिक्षु का NATS Portal पर Registration Approved के लिए उस दिनांक पर प्रशिक्षु का उत्तीर्ण करने का दिनांक 03 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए अन्यथा उनका Registration Approval नहीं होगा। Approve न होने की स्थिति में उनका Selection Cancel कर दिया जायेगा।

16. स्टाईपेण्ड :--

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाईपेण्ड देय होगा. जो वर्तमान में निम्नानुसार है:--

स्टाइपण्ड	प्य हाना, जा पराना । । । । । । । । । । । ।	2 / /2
क्र.	आर्हता	मसिक स्टाइपेण्ड (रू० में)
1	एक वर्षीय आई.टी.आई. अप्रेंटिस	7700 / —
2	दो वर्षीय आई.टी.आई.	8050 / —
3	टेक्निशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस	8000/-
4	ग्रेज्युएट अप्रेंटिस	9000/-

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा / स्वास्थ्य मानक:--

i. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है के आधार पर ही किया जावेगा।

18. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्ते:--

i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित आईताओं को पूरा नहीं करते है और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते है। अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जायेगी।
- iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) के प्रावधानो के आधार पर किया जावेगा।
- v. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vi. शिक्षुता अवधि में अभ्यर्थियों को 12 दिनों का आकिस्मक अवकाश, 15 दिनों का चिकित्सा अवकाश एवं साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- vii. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- viii. म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रदद करने / सीमित करने / बढाने का अधिकार होगा।
  - ix. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
  - x. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22(1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.कं.लि., अ.ता.वि.गृ., चचाई किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और नहीं इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।
  - xi. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2(1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत कौशल विकाश एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।
- 19. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान कम्पनी के आवास रिक्त होने पर उपलब्धतानुसार ही निर्धारित शुल्क के आधार पर आवास आवंटित किये जा सकेगे। प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर प्रशिक्षु स्वयं जिम्मेदार होगा। म0प्र0पाँठजठकंठलिठ की इसके लिए क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 20. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय—अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण), अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई जिला—अनूपपुर (म. प्र.) के पते पर जमा / प्रेषित करना होगा।

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण) अ.ता.वि.गृह, म०प्र०पॉ०ज०कं०लि०, चचाई

## अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई (आई.टी.आई. अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2022–23)

### आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण) अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई

शाखा									
1 तर्ग—									
	वर्ग—अवेदक का पूरा नाम								
	भेता / पति  का  नाम								
	/ पारा पर्रा पाप (महिला / पुरूष)								
<ol> <li>जन्म ति!</li> </ol>									
6. पत्र व्यवह									
0. 11. 11.	77								
7. मोबाइल	नम्बर					\ _A <u>~</u>			
८. क्या अन्	जाति / अनृ.जनजा	ते/अन्य पिछडा वर्ग/अ	ार्थिक रूप से व	कमजोर (EWS	) वर्ग में आते ह	ह याद हा			
	पत्र प्रस्तुत करें।								
० क्या पर्व	में अप्रेंटिस एक्ट व	ते तहत प्रशिक्षण प्राप्त कि	ज्या						
है यदि ह	तो उसका विवर	ण							
10. शैक्षणिक	योग्यता / तकनी	की योग्यता:							
		शक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत			
परादाा / साज	onan 147 xi	CIGIT CITY III							
1. ਸ੍ 2. ਝੈ 3. ਹ 4. 3	ाईटीआई प्रमाण प	ात्र । प्रमाण पत्र जा / अजजा / अपिव) /	अर्थिक रूप से	कमजोर (EW	S) प्रमाणपत्र				
आवेदक के हस्ताक्षर									
घोषणा पत्र									
में	मैप्रमाणित करता / करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य /अपूर्ण जानकारी								
करता / करर्त पाये जाने पर	हूँ कि आवेदन म.प्र.पॉ.ज.कं.लि.	पत्र में दी गयी समस्त द्वारा की जाने वाली समर	जानकारी पुणेर	रूप स सत्य है तु मै जिम्मदार	ः। असत्य/अपृ रहूँगा/रहूँगी	्ण जानकारा 			

### अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई (ग्रेज्युएट(डिग्री)/टेक्नीशियन(डिप्लोमा) अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र वर्ष 2022–23)

## आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (एम.पी.सी. एवं प्रशिक्षण) अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई

अमरकट	टक ताप विद्युत गृह, चचाइ				
शाखा					
1. डिग्री / डिप्त 2. आवेदक का 3. पिता / पति 4. लिंग (महिल 5. जन्म तिथि 6. पत्र व्यवहार	को नाम ग / पुरूष)				
तो प्रमाण प 9. क्या पूर्व में है यदि हॉ	म्बर ाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अ मत्र प्रस्तुत करें। अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कि तो उसका विवरण ोग्यता / तकनीकी योग्यताः–		क्रमजोर (EWS	) वर्ग में आते ह	है यदि हॉ
परीक्षा / शाखा	शिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
				*	
1. मूल 2. 10व 3. जार्ग 4. ग्रेज	(सत्यापित प्रतिलिपियॉ) निवास प्रमाण पत्र ग्रीं कक्षा, 12वीं कक्षा की अंकसूची एवं डिग्र ति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव)/ युएट (डिग्री)/टेक्नीशियन (डिप्लोमा) प्रोर्व म प्रमाण पत्र	अर्थिक रूप से	कमजोर (EW	ं की अंकसूची S) प्रमाणपत्र	
				आवेदव	न के हस्ताक्षर
	घोषण	गा पत्र			
मै करता / करती पाये जाने पर	हूं कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समर	जानकारी पूर्ण	रूप से सत्य है	 १ असत्य/अ १ रहूँगा/रहूँगी	पूर्ण जानकारी

आवेदक के हस्ताक्षर